314

उत्तराखण्ड शासन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

संख्याः1052/VII-2/15/13–उद्योग/2010

देहरादून, दिनॉकः21 जुलाई, 2015

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–11/औ0वि0/07–उद्योग/2004 दिनांक 27 जनवरी, 2004 तथा शासनादेश संख्या–940/औ0वि0/07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 के द्वारा निजी औद्योगिक आस्थान अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्रांकः–33/उ0नि0(पांच)–नि0औ0आ0/2015 दिनांक 06 अप्रैल, 2015 एवं पत्रांकः–1044/उ0नि0(पांच)–नि0औ0आ0/2015 दिनांक 10 जून, 2015 के संदर्भ में **मैसर्स के0आई0ई0 इन्फास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0 ग्राम मुण्डियाकी, परगना मंगलौर, तहसील–रूड़की जनपद–हरिद्वार** को जनपद हरिद्वार तहसील रूड़की के ग्राम–मुण्डियाकी, परगना–मंगलौर में **0.7550 है0** अतिरिक्त क्रय अनुबंधित भूमि जिसका खसरा संख्या तालिका में अंकित है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन निजी औद्योगिक आस्थान के रूप में अधिसूचित/विनियमित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (है0 में)
ग्राम–मुण्डियाकी, परगना–मंगलौर, तहसील–रूड़की, जनपद–हरिद्वार।	375	0.7550 है0

(i) आस्थान के प्रवर्तको द्वारा आस्थान के रूप में विनियमित उक्त भूमि पर अवस्थापना सुविधाओं का विकास G.I.D.C.R- 2012 अथवा सीडा द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार स्वयं किया जाना होगा।

(ii) आस्थान में उद्योगों की स्थापना के लिये पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

(iii) आस्थान के रूप में विनियमित भूमि के आवंटन पत्र/सेल डीड में क्रेता औद्योगिक इकाई में 70 प्रतिशत रोजगार उत्तराखण्ड के निवासियों को उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख किया जाना होगा।

(iv) क्रय की जाने वाली भूमि का 01 वर्ष की समयावधि के भीतर विधिवत क्रय विलेख पत्र निष्पादित कराकर धारा–143 के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(v) आस्थान के प्रवर्तक द्वारा आस्थान के विनियमन हेतु पूर्व में जारी सभी अधिसूचनाओं में उल्लिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

2 उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबंधों/शर्तों का उल्लंघन करने अथवा किन्ही अन्य कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो, सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (Notification) निरस्त की जा सकती है।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1052 (1)/VII-2/15/13-उद्योग/2010, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं सम्वर्द्धन विभाग) उद्योग भवन, नई दिल्ली।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. प्रबंध निदेशक, सिडकुल, आई0टी0 पार्क, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. निजी सचिव-मा0 मंत्री, लघु उद्योग, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
9. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
11. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की, हरिद्वार।
12. मैसर्स के0आई0ई0 इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0 ग्राम मुण्डियाकी, परगना मंगलौर, तहसील-रूड़की, जनपद-हरिद्वार।
13. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 आर0 राजेश कुमार)

अपर सचिव।

Sunil UO Letter